<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>17/08/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने शैलेश बाबूलाल भट्ट को 13.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 2091 बिटकॉइन, 11000 लाइटकॉइन और 14.50 करोड़ रुपये नकद की जबरन वसूली के संबंध में चल रही धन शोधन जाँच में गिरफ्तार किया है, जिसकी कुल कीमत वर्तमान में लगभग 1232.50 करोड़ रुपये है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी की हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने वर्ष 2017-18 में बिटकनेक्ट कॉइन में निवेश करने के लिए जनता को लुभाकर बिटकनेक्ट कॉइन के प्रमोटर सतीश कुंभानी द्वारा आम जनता को धोखा देने के मामले में सीआईडी क्राइम, सूरत द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। इसके बाद, सतीश कुंभानिया ने जनवरी, 2018 में बिटकनेक्ट कॉइन की बिक्री अचानक बंद कर दी और बिटकनेक्ट कॉइन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया और इस तरह जनता के पैसे की ठगी की और भाग गया।

ईडी की जाँच में पता चला है कि शैलेश भट्ट ने सतीश कुंभानिया से अपना निवेश वापस पाने के लिए सतीश कुंभानिया के दो कर्मचारियों का अपहरण कर लिया और अपहृत कर्मचारियों को छोड़ने के लिए 2091 बिटकॉइन, 11000 लाइटकॉइन और 14.50 करोड़ रुपये नकदी की वसूली की।

शैलेश भट्ट के खिलाफ ईडी की जाँच में पता चला है कि उसने अपहरण और जबरन वसूली में सक्रिय भागीदारी के बदले अपने साथियों को 289 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) वितरित की, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्ति, सोना और अन्य संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

अब तक हुई जाँच के बाद ईडी द्वारा 442 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।